कृषि विज्ञान केन्द्र, काशीपुर
बाजपुर रोड, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर–244713

पत्रांक: दिनांक

निविदा प्रपत्र

कृषि विज्ञान केन्द्र, काशीपुर के प्रशासनिक भवन एंव कृषक छात्रावास के मध्य प्रांगण में केन्द्र की चाहरदीवारी के अन्दर दीवार से सटे हुए यूकेलिप्टिस के 23 हरे पेड़ों को निविदा प्रकिया के अन्तर्गत खुली बोली के माध्यम से नीलामी हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तें एंव प्रतिबंध निम्नलिखित हैं।

1. निविदा प्रपत्र की बिकी की तिथि : निविदा प्रपत्र 01.08.2022 से 10.08.2022 के अपरान्ह 1.0 बजे तक केन्द्र के कार्यालय से नगद भुगतान पर प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य : रु. 250+GST @ 18%+ कुल रु. 295.00 (नान रिफंडेबल)
3. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि : दिनांक 10.08.2022 के अपरान्ह 1:0 बजे तक
4. निविदा खोलने की तिथि : दिनांक 10.08.2022 के अपरान्ह 1:15 बजे
5. निविदा खोलने का स्थान : कृषि विज्ञान केन्द्र, काशीपुर प्रशासनिक भवन

कम सं0	नीलामी सामग्री	निविदाता का नाम एंव पता
01	यूकेलिप्टिस के 23 हरे पेड़ों को निविदा प्रकिया के अन्तर्गत खुली बोली के माध्यम से नीलामी	

शर्तें एंव प्रतिबन्ध

1. प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि से कार्य दिवसों में पूर्वान्ह 10.00 बजे से 1.0 बजे तक निविदा प्रपत्र रु. 250.00+GST (As application 18%) सकल रु. 295.00 की दर से (नान रिफन्डेबल) विकय किये जायेगे।
2. निविदादाताओं द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने के लिए क्वालीफाइंग धनराशि रु. 10,000.00 नगद रुप से निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित समय यथा दिनांक 01.08.2022 अपरान्ह 1.0 बजे तक प्रभारी अधिकारी कार्यालय में जमा होना अनिवार्य होगा। क्वालिफांइग धनराशि के अभाव में निविदादाता को नीलामी में प्रतिभाग करने का अधिकार नहीं होगा। उपस्थित निविदाताओं द्वारा दिनांक दि0 10.08.2022 के अपरान्ह् 1:15 बजे समिति के समक्ष बोली लगाई जायेगी।
3. उक्त क्वालीफाइंग मनी सफल बोलीदाता की समायोजित कर ली जायेगी तथा अन्य असफल बोलीदाता की उसी वापस कर दी जायेगी।
4. किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।
5. सफल निविदाता को उच्चतम बोली की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत तुरन्त (क्वालीफाईग धनराशि के अतिरिक्त), तुरन्त नगद रुप में जमा करना होगा।
6. वृक्षों की कटाई आरम्भ करने से पूर्व सफल बोलीदाता को अनुमति पत्र प्राप्त होने के दस दिन के अन्दर समस्त धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात ही वृक्षों का कटान व निकासी होगी।
7. वृक्षों के विकय मूल्य पर केता को निर्धारित बिकीकर, आवश्यक स्टाम्प शुल्क, मण्डी शुल्क, आदि करों को सम्बधित केता द्वारा अपने स्तर से समय पर संबधित विभागों में स्वंय जमा करना होगा।
8. वृक्षों की कटाई एंव निकासी स्वीकृति उपरान्त 15 दिन के अन्दर पूर्ण करनी होगी।
9. सभी वृक्षों की कटाई, जड़ खुदान केता द्वारा की जायेगी तथा जड़ खुदान के बाद केता द्वारा गड्डा बंद करना होगा।
10. वृक्षों की लकड़ी की गुणवत्ता का काई उत्तरादायित्व विश्वविद्यालय का नहीं होगा इसलिए बोली लगाने से पूर्व इच्छुक निविदादाता केन्द्र पर आकर वृक्षों का निरीक्षण स्वंय कर लें। नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात लकड़ी में किसी प्रकार के दोष पर शिकायत मान्य नहीं होगी।
11. वृक्षों के कटान उपरान्त कटी लकड़ियों की सुरक्षा स्वंय करनी होगी।
12. कटे वृक्षों की निकासी से पूर्व केता को वन प्रभाग, रामनगर से निकासी परमिट स्वयं लेना होगा तथा केता को ट्रांजिट शुल्क आदि की धनराशि स्वंय जमा करनी होगी।
13. केता अथवा उनके कार्मिकों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से निकासी तक केन्द्र की किसी भी सम्पत्ति के नुकसान पर स्वंय केता की जिम्मेदारी मानी जायेगी।
14. इस नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकारी जिला एंव सत्र न्यायालय ऊद्यमसिंह नगर होगा।
15. उपरोक्त उल्लेखित शर्तों का पालन न करने की दशा में वृक्षों की बिकी रद्द मानी जायेगी।

(जितेन्द्र क्वात्रा)
प्रभारी अधिकारी